आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
19/09/2019		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपीलवाद संख्याः–82/2019

रामसेवक कुवँर (कुमर) व अन्य.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

जगदीश ठाकुर .....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद रामसेवक कुँवर (कुमर) व रामचन्द्र कुँवर व शिवचन्द्र कुँवर सभी पिता–सुखदेव कुँवर, सा0 व पो0–हरियाही, थाना–निर्मली, जिला–सुपौल के द्वारा निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, निर्मली (सुपौल) द्वारा भूमि विवाद वाद सं0–82/2018–19 जगदीश ठाकुर बनाम रामसेवक कुँमर व अन्य में दिनांक 13.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें जगदीश ठाकुर, पिता–स्व0 नथुनी ठाकुर, सा0+पो0–हरियाही, थाना–निर्मली, जिला–सुपौल को पक्षकार बनाया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा/थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0 (पु0)	रकवा	अभ्युक्ति
हरियाही/95	70	819	0–0–17	06 धूर पूरब तरफ तथा 11 धूर पश्चिम तरफ

अपीलार्थीगण का मूलरूप से कहना है कि खतियानी रैयत भगवानी ठाकुर की दो लड़की में से एक लड़की गुलाब देवी को भगवानी ठाकुर ने अपने जीवन काल में ही निबंधित दान पत्र संख्या–4067 दिनांक 16.03.1974 से प्रश्नगत खेसरा पुराना–819, नया खेसरा–1882, रकवा–0–0–12–15 (चौहद्दी उत्तर–रामजी, दक्षिण–सड़क, पूरब–सड़क, पश्चिम–रामजी) अंकित कर दे दिया। अपीलार्थीगण गुलाब देवी के बारिसान हैं। उक्त निबंधित दान पत्र में विपक्षी जगदीश ठाकुर के पिता नथुनी ठाकुर बतौर गवाह हैं। इस प्रकार विपक्षी के पिता प्रश्नगत खेसरा–819 पर

आधार पर उक्त भूमि भगवानी व रामजी के नाम से प्रकाशित हुआ। अपीलार्थीगण का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय में रामजी के वारिसानों व नथुनी के अन्य वारिसानों शिवजी ठाकुर वो शिवनारायण ठाकुर को पक्षकार नहीं बनाये जाने के बावजूद भी आदेश पारित किया गया। उनके अनुसार प्रश्नगत मामला स्वत्व (Title) से अभिप्रेत है। निम्न न्यायालय के द्वारा विपक्षीगण (निम्न न्यायालय में अपीलार्थी) के वादपत्र, उनके द्वारा पारित आदेश तथा अंचल अधिकारी को दिये गये निदेश में विसंगति है। उक्त के आलोक में अपीलार्थीकण के द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया :-

1. अंचल कार्यालय, निर्मली का आदेश ज्ञापांक-1173 दिनांक 10.10.2019
2. भूमि विवाद सं0-82/2018-19 में जगदीश ठाकुर के द्वारा दाखिल वादपत्र की अर्जी।
3. निबंधित केवाला (दानपत्र) दिनांक 16.03.1974 नविस्ते भगवानी सुतिहार बहक श्रीमती गुलाब देवी
4. लगान रसीद जमाबंदी नं0-80 नामे मुशहरू बइही वर्ष 2016-17
5. लगान रसीद जमाबंदी नं0-553 नामे वर्ष 2018-19
6. सत्यापित वंशवृक्ष।
7. हाल सर्वे खतियान (अस्पष्ट)

विपक्षी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जबाव दाखिल करते हुए बताया गया कि अपीलार्थी एवं विपक्षी एक ही खानदान के वारिसान है। हाल सर्वे खतियान में दोनों पक्षों का हिस्सा भगवानी ठाकुर व रामजी ठाकुर, पे0-मुशहरू ठाकुर एक अंश समान तथा नथुनी ठाकुर पे0-काशी ठाकुर एक अंश समान दर्ज है। उनके अनुसार दोनों पक्षों के मध्य बहुत पहले बटवारा हो गया तथा उसके अनुसार दखल कब्जा भी मिला। वे अपने हिस्सा में खेसरा 1882 में पश्चिम से 15 धूर तथा 2 धूर उत्तर पूरब कोना पर पक्का छतदार मकान बनाकर सपरिवार रहते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अपीलार्थीगणों के द्वारा जाल-फरेबी खतियान दिखाया जा रहा है। उनके पास सर्वे अमला द्वारा दिया गया रैयती खतियान है जिसका खाता नं0-293 वो खेसरा नं0-1882 दर्ज है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि को लेकर अपीलार्थी के द्वारा

अपील चलने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त के आधार पर विपक्षीगणों के द्वारा अपीलार्थी के अपीलवाद को खारिज योग्य बताया गया है। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया है :-

1. पुराना खतियान का नकल बजाप्ता।
2. हाल सर्वे खतियान का छायाप्रति।
3. लगान रसीद नामे मुशहरू बढ़ई-2016-17
4. मालगुजारी रसीद ऑनलाईन नामे मुशहरू बढ़ई।
5. प्रश्नगत भूमि का नजरी नक्शा।
6. छायाप्रति वंशवृक्ष।
7. शपथ-पत्र के साथ संलग्न अधिकार वाद सं0-275/19 रामसेवक कुँवर वगैरह बनाम जगदीश ठाकुर।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि विपक्षी के द्वारा आपसी बटवारा के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया गया है तथा इस संबंध में मामले को स्वत्व (Title) से प्रेरित होने तथा इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा ही व्यवहार न्यायालय में अधिकार वाद दायर किये जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि अपीलार्थी के द्वारा सर्वे खतियान के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर दावा किया गया है तथा उनके अनुसार भी प्रश्नगत मामला स्वत्व (Title) से प्रेरित है। जिस पर विचारण इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तदालोक में इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।